षोडश माला, खंड 13, अंक 9 **मंगलवार, 8 दिसंबर, 2015**
17 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

08.12.2015

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रजिन्दर कुमार
संयुक्त निदेशक

गुंजन वत्स नीरज
संपादक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

08.12.2015

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015 /1937 (शक]
अंक 9, मंगलवार, 8 दिसंबर, 2015 / 17 अग्रहायण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*] तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123	13-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31
तारांकित प्रश्न संख्या 124 से 140	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	

[1*] किसी सदस्य के नाम के पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

08.12.2015

सभा पटल पर रखे गए पत्र 34-42

राज्य सभा से संदेश 43-44
और
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 45
9वां तथा 10वां प्रतिवेदन

रेल संबंधी स्थायी समिति
(1) 8वां प्रतिवेदन 45
(2) विवरण 46
समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति 47-48

कार्य मंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 49

नियम 377 के अधीन मामले 53-76

(एक) उत्तर प्रदेश विशेषत: सहारनपुर जिले के किसानों से निर्धारित नियमों के अनुसार धान की खरीद किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता।

श्री राघव लखनपाल 54-55

(दो) फसलों को हुए नुकसान के लिए विशेषत: उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत राशि सीधे दिए जाने हेतु तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 55

(तीन) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु गुजरात में उनकी पुनः गणना कराए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा 56

(चार) मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री राकेश सिंह 57

(पांच) राजस्थान के करौली जिले में कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य से जोड़े जाने की आवश्यकता।

डॉ. मनोज राजोरिया 58

(छह) राजस्थान के सिरोही जिले में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।

श्री देवजी एम. पटेल 59

(सात) अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी फेडरेशन की बैठकों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

डॉ. उदित राज 60

(आठ) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता।

श्री कीर्ति आजाद 61

(नौ) महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री नाना पटोले 61-62

(दस) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री रोड़मल नागर 62-63

(ग्यारह) न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचारण किए जाने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता।

श्री रतन लाल कटारिया 63

(बारह) सबरी रेल परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री एंटो एन्टोनी 64

08.12.2015

(तेरह) मणिपुर में अश्वारोहण संबंधी खेलकूद के लिए टट्टुओं की संख्या का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

डॉ. थोकचोम मेन्या 65-66

(चौदह) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौवडा 67

(पंद्रह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर वेल्लोर और वन्नियमबाडी के बीच अंडरपास और एलीवेटेड टॉलवेज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री बी. सेनगुट्टुवन 68-69

(सोलह) टिंडीवनम-नागरी नई बड़ी लाईन का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता।

श्री जी. हरि 70

(सत्रह) देश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए किसानों को उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद तथा पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने 71

(अठारह) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का शब्दशः कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री राम मोहन नायडु किंजरापु 72

08.12.2015

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

कुँवर हरिवंश सिंह 73

(बीस) सफेद मक्खी के आतंक से प्रभावित हरियाणा के कपास उत्पादकों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता ।

श्री दुष्यंत चौटाला 74

(इक्कीस) चांदखीरा बागान से कहन्मुन और बेरोइग्राम से दुल्लाबचेरा रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री राधेश्याम बिश्वास 75

(बाईस) मुल्लापेरियार बांध से नीचे की ओर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 76

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति 80-89

श्री संजय हरिभाऊ जाधव

08.12.2015

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यदव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

08.12.2015

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 8 दिसंबर 2015 / 17 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

08.12.2015

… (*व्यवधान*)

पूर्वाहन 11.0 ½ बजे

[अनुवाद]

(इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, एडवोकेट जोएस जॉर्ज जी से; श्री एन.के.प्रेमचंद्र जी से मुल्लापेरियार बांध से नीचे की ओर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारें; प्रोफेसर सौगत रॉय ने भी विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ सरकार की सहभागिता के बारें में; श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं के बारें में; डॉ. ए. संपत से खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट के खतरे को रोकने की आवश्यकता के बारे में; और श्री के.सी. वेणुगोपाल से मुजफ्फरनगर दंगों के बारें में।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाहन 11.02 बजे

(इस समय श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: ये मामले, हालांकि काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके कारण आज के कार्य में व्यवधान डालने की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थानों पर जाएं। मुझे नहीं पता कि आखिर बात क्या है। वहां कुछ भी नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या बात है? कृपया अपने स्थानों पर जाएं। मुझे बताएं कि क्या हुआ है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे नहीं पता कि क्या बात है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे *जी*, क्या बात है, यह क्या हो रहा है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे नहीं पता; मेरे पास कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं है। मामला क्या है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपने स्थान पर जाइए; मुझे मुद्दा बताइए। मुझे कोई बात पता ही नहीं है। यह कैसे हो सकता है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप केवल चिल्ला रहे हैं; यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कोई मुद्दा नहीं है; कुछ भी नहीं है।

… (*व्यवधान*)

08.12.2015

पूर्वाहन 11.02 1⁄2 घंटे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। अब, प्रश्नकाल, प्र. 121, श्री राजन विचारे।

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 121)

[हिंदी]

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाओं में कई गिरोह सक्रिय हैं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार को पिछले दो सालों में महाराष्ट्र में किसी ऐसे गिरोह का पता चला है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण के काम में संलिप्त है।...(व्यवधान) पुलिस द्वारा ऐसे गिरोहों पर क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाहन 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

08.12.2015

<u>पूर्वाहन 11.30 बजे</u>

[अनुवाद]

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाहन 11.30 ½ बजे</u>

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: जी हां, भर्तृहरि जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, हमने पोलावरम परियोजन से संबंधित एक नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*) भारत सरकार एकतरफा तौर पर, इस परियोजना के लिए धन मुहैया करा रही है, हालांकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है... (*व्यवधान*) आप कृपया हमें पोलावरम मुद्दे को उठाने की अनुमति दीजिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जी, मैं आपको 'शून्यकाल' में अनुमति अवश्य दूँगी।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाहन 11.30 ¾ बजे</u>

(इस समय श्री प्रसन्ना कुमार पाटसाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, आपका मुद्दा क्या है? मुझे उसके बारें में कुछ पता नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आपका कोई मुद्दा नहीं है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका मुद्दा क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सभी यहां क्यों हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, क्या कोई बात है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बैठ जाएं। आपका कोई इश्यु नहीं है। उन्हें अपना मुद्दा बताने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई मुद्दा नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है।

… (*व्यवधान*)

08.12.2015

पूर्वाहन 11.31 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... . जारी*

माननीय अध्यक्ष: श्री राजन विचारे, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाओं में कई गिरोह सक्रिय हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में पिछले दो सालों में किसी ऐसे गिरोह का पता चला है जो महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण के काम में संलिप्त है एवं पुलिस द्वारा ऐसे गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? केंद्र सरकार की इन गुमशुदा महिलाओं और बच्चों को ढूंढ़ने की क्या कोई योजना है? ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी) : महोदया, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ...(व्यवधान) भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्रालय के पास अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त होते ही उन्हें उपलब्ध कराएंगे। ...(व्यवधान) केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने इस विषय को प्राथमिकता से लिया है। 31 जनवरी, 2002 को विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की थी। 25 जून, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भी विस्तृत एडवाइजरी जारी की थी। ...(व्यवधान) पूरे देश में 225 जिलों में एक्टिव ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट की भी स्थापना की है और 150 नए यूनिट्स हम हर राज्य में 50-50 परसेंट की पार्टनरशिप में भी करने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए ट्रेक चाइल्ड पोर्टल बनाया है। गृह मंत्रालय ने जनवरी,

2015 में एक स्कीम आपरेशन "स्माइल" चलाई थी। उसमें 9147 बच्चे ढूंढ़े गए थे। दूसरा आपरेशन "मुस्कान" जुलाई महीने में चलाया गया था। ...(व्यवधान) इस आपरेशन में 19742 बच्चे ढूंढ़े गए थे। हमने एक विस्तृत नेशनल इमरजेंसी सिस्टम बनाने का सोचा है, जिसमें पूरे देश में से कोई भी अगर 112 नम्बर पर काल करेगा, तो उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजन विचारे: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा तलाश किये गये बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है या नहीं ताकि यह पता चल सके कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं को ढूंढ़ने के लिए सोशल मीडिया की सहायता ली जा रही है या नहीं? ...(व्यवधान)

श्री हरिभाई चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह पर्टिकुलर्ली महाराष्ट्र का प्रश्न है, लेकिन बच्चों की पूरी देखभाल शेल्टर होम में की जाती है। ...(व्यवधान) यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हम महाराष्ट्र सरकार से जानकारी लेकर दे देंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा है। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती कृष्णा राज: माननीय अध्यक्ष महोदया ,प्रति वर्ष पूरे देश में हजारों बच्चे और महिलाएँ गायब हो रहे हैं। आज जो आंकड़े पटल पर आये हैं, उनकी वास्तविकता यह है कि राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र में यथार्थ में अपहृत बालिकाएँ-महिलाएँ और बच्चे हैं, उनका आंकड़ा सही नहीं आ रहा है, ...(व्यवधान) इसका एक उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र का ही है। एक पूजा भुजवाल नाम की लड़की है, जो दो वर्षों से गायब है। ...(व्यवधान) उसका पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठता है।

जब कोई वहाँ आता है, तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ऐसी तमाम महिलाएं जो गायब हैं, ...(व्यवधान) ऐसे तमाम बच्चे जो गायब हैं, उनके लिए आप राज्य सरकारों को निदेरशित करेंगे कि सही तरीके से मुकदमों में तथ्यों को सामने लाया जाए? ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि लाखों बच्चे हमारे देश से गायब हो रहे हैं, जिनमें से 55 फीसदी लड़कियां हैं। इसके बाद हमारी मुस्कान योजना चली, इस योजना के तहत 25,000 बच्चों को बरामद किया गया,...(व्यवधान) किन्तु लाखों बच्चों और उन गुनाहगारों का पता नहीं चल पाया।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ऐसी फेक आईडी वाली तमाम कंपनियां चल रही हैं, उन पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई सुनिश्चित करने की क्या आपकी कोई मंशा है?...(व्यवधान) मैं चाहूंगी कि ऐसी फर्जी कंपनियों को निरस्त करते हुए, उन तमाम बेसहारा महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए कोई कठोर कदम उठाएं?...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, रेलवे में हर साल हमारे तमाम बच्चे और महिलाएं गायब हो रही हैं, उनके बारे में क्या योजना है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए, एक ही प्रश्न पूछना होता है। ऐसे नहीं होता है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री हरिभाई चौधरी: माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न एक साथ पूछे हैं। बच्चों के लिए महिला और बाल कल्याण विभाग ने चाइल्ड ट्रैक पोर्टल बनाया है। ...(व्यवधान) पूरे देश में पुलिस स्टेशन्स में जो एफआईआर दर्ज होती हैं, उनकी मॉनीटरिंग होती है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने रेलवे के बारे में पूछा है, रेलवे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों और महिलाओं के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की शुरूआत कर दी है।...(व्यवधान) इसकी शुरूआत में बीस रेलवे स्टेशन्स, जिनमें बंगलौर, चेन्नई आदि स्टेशन्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैं

आपको दे सकता हूं, पर एक डेस्क बनाएंगे और मिसिंग हुए बच्चे को शेल्टर होम तक पहुंचाकर उसकी पूरी देखभाल केन्द्र सरकार करती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग किस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं। आप लोग वापस जाइए। मुझे बताएं तो सही।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, क्या आपका भी कोई इश्यू है? आप क्यों खड़े हैं?

श्री सुदीप जी, आप लोग क्यों खड़े हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे नहीं पता कि मुद्दा क्या है।

कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। कोई इश्यू नहीं है, आपके केवल चिल्लाने से क्या समझ में आएगा? न आपके नेता कुछ बोल रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: बिना किसी मुद्दे के इस प्रकार से चिल्लाना अच्छा नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन।

08.12.2015

श्री सी. गोपालकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं अपना अनुपूरक प्रश्न आरंभ करूं, सबसे पहले, मैं अपनी सम्माननीय नेता, पुरैची थलाइवी अम्मा को प्रणाम करता हूँ। … (*व्यवधान*)

न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की रिपोर्ट ने देश को झकझोर कर रख दिया क्योंकि इसमें पाया गया कि भारत में औसतन हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लापता बच्चों और अपहरण की बढ़ती संख्या का एक मुख्य कारण देश में लापता बच्चों के लिए उपयुक्त कानून की कमी है। ... (*व्यवधान*)

हमारी प्रिय मुख्यमंत्री अम्मा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लापता महिलाओं और बच्चों को बचाने, अभियोजन और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई नई पहल शुरू की है। धन्यवाद, महोदया। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों खड़े हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने ...(व्यवधान) बलात्कार एवं महिला के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों जैसे छेड़खानी, पीछा करना, एसिड से हमला करना, सैक्सुअल ह्रासमेंट इत्यादि ...(व्यवधान) के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। ह्युमन ट्रैफिकिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, सजा में बढ़ोत्तरी की गयी है...(व्यवधान) और पहले सात साल की सजा थी, अब उसे बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है। गैंग रेप और परिभाषित किए गए रेप के अपराध के दायरे को बढ़ाया गया है।...(व्यवधान) इसमें पुलिस एफ.आई.आर. दाखिल करना जरूरी है। एफ.आई.आर.

दाखिल न करने और अस्पताल में इलाज न कराने पर हमने सजा का प्रावधान किया है। ...(व्यवधान) आई.पी.सी. के नए सेक्शन 166-ए के तहत जो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेगा, उसे छः महीने की सजा और अस्पताल में मिसिंग महिलाओं और बच्चों का इलाज नहीं करते, दवा नहीं देते, उन अस्पतालों के खिलाफ आई.पी.सी. के नए सेक्शन 166-बी के तहत कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अपरूपा पोद्दार।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अपरूपा पोद्दार, क्या आप अपना अनुपूरक पूछना चाहती हैं?

श्रीमती अपरूपा पोद्दार: जी नहीं, महोदया। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. नरसैय्या गौड।

… (*व्यवधान*)

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड: मुझे अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदया। लापता बच्चों और युवा महिलाओं के आँकड़े और वास्तविकता एक गंभीर चिंता का विषय है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े चिंताजनक हैं।

पहले जो घटनाएं छोटे स्तर पर होती थीं, अब वह एक बिजनेस मॉडल बन चुकी हैं। अब बच्चों और महिलाओं को एक बिजनेस मॉडल के तौर पर ले जाया जा रहा है। अब, उन्हें भीख मांगने, देह व्यापार और यहां तक कि आतंकवाद में भी शामिल किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में आई.एस.आई.एस. और अन्य समूह बच्चों को आतंकवाद में शामिल करने के लिए उनका अपहरण कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी ही गंभीर सुरक्षा, वित्तीय और नैतिक चिंता का विषय हैं।

महोदया, मैं बता सकता हूं कि यदि ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश में ऐसी कोई एक घटना भी घट जाए तो पूरा देश लापता बच्चों को ढूंढने में जुट जाता है। लेकिन यहां एक देश के तौर पर हम इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध करता हूँ। यह केवल आंकड़े नहीं है, इसे आपराधिकता, सामाजिक सुरक्षा, इसमें शामिल वित्त और पूरे देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए और इन्हीं के अनुसार इसका समाधान किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करें।... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जिन बच्चों को अवैध व्यापार में लिप्त किया जाता है, उनसे बैगिंग कराई जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस बारे में दो स्कीम्स बनाई हैं, जिनके तहत 'ऑपरेशन स्माइल' और 'ऑपरेशन मुस्कान' लगभग 26,000 मिसिंग बच्चों को खोज निकाला है। ...(व्यवधान) हमारी इस पर कड़ी नजर रहती है कि कोई बच्चा अवैध व्यापार में न जाने पाए। उसके लिए सरकार सतर्क है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ गुमशुदा बच्चों एवम महिलाओं को कुछ गिरोहों द्वारा देह व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है और विदेशों में भी तस्करी के तौर पर भेजा जाता है?...(व्यवधान) क्या इस तरह के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, अगर आए हैं तो ऐसे गिरोहों का सफाया करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ गिरोहों द्वारा बच्चों का अपहरण करके उनसे बैगिंग कराई जाती है, अवैध व्यापार भी होता

है, लेकिन इन सब पर सरकारी की कड़ी नजर रहती है। ...(व्यवधान) चिल्ड्रन शैल्टरों में उनकी फोटो के साथ पूरा रजिस्टर मेनटेन किया जाता है। केन्द्र सरकार इस बारे में एक नई स्कीम लाने वाली है, उस पर काम चल रहा है। हम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क सिस्टम लाने की सोच रहे हैं, जिससे इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अभी इस पर काम चल रहा है। ...(व्यवधान) इंवेस्टिगेशन केपेसिटी आफ क्राइम अगेंस्ट वूमैन की जानकारी स्टेट्स से मिल जाएगी। इस बारे में पूरे देश में 564 आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. सेंटर सेटअप करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. साधू सिंह : महोदया, लापता बच्चों के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं कि फरीदकोट और पूरे पंजाब में सैकड़ों बच्चे लापता हैं। और पंजाब सरकार द्वारा उनमें से किसी भी बच्चे का पता नहीं लगाया गया है। मैंने गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन गृह मंत्रालय ने कभी भी पंजाब सरकार से नहीं पूछा कि उनका पता क्यों नहीं लगाया गया। गृह मंत्रालय ने यह मामला पंजाब सरकार की पंजाब पुलिस को सौंप दिया। मैं गृह मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि वे लापता बच्चों का पता लगाएँगे या नहीं।

[हिंदी]

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच साल में हमने सात अडवाइजरी सभी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ को भेजी हैं...(व्यवधान) बार-बार हम निर्देश देते हैं। पिछले साल हमने एक विमन कान्फ्रेंस भी की है...(व्यवधान) हमने 44 आधिकारियों को अवॉर्ड्स भी दिए हैं। जनवरी, 2016 से हम मुस्कान नाम से एक स्कीम चलाने वाले हैं...(व्यवधान) हम पंजाब सरकर के साथ-साथ सभी सरकारों को निर्देश देते रहते हैं...(व्यवधान)

08.12.2015

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं। बिना इश्यु के आप लोग वैल में आकर चिल्ला रहे हो। कृपया अपने स्थानों पर जाएं। सौगत राय जी, आप सब क्यों खड़े हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

प्र. - 122 श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल – उपस्थित नहीं।
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण - उपस्थित नहीं
श्री सत्यपाल सिंह।

08.12.2015

(प्रश्न संख्या 122)

श्री सत्यपाल सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आतंकवाद का मूल कारण चरमपंथी, कट्टरपंथी या *जिहादी* विचारधारा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस *जिहादी* विचारधारा का मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति या कोई शक्तिशाली या सकारात्मक विचारधारा विकसित करने की योजना है क्योंकि विचारधारा का मुकाबला केवल विचारधारा के माध्यम से किया जा सकता है, न कि किसी की जान लेकर।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मौजूदा यू.ए.पी.ए. अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है क्योंकि इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इन कट्टरपंथी प्रचारकों के खिलाफ प्रभावी और कड़ी कार्रवाई की जा सके जो भारत में इस कट्टरपंथी विचारधारा को फैला रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : महोदया, सरकार विशेष रूप से आई.एस.आई.एस. से कट्टरपंथी तत्वों के प्रसार से उत्पन्न खतरे से अवगत है और उसके संबंध में, भारत सरकार द्वारा इससे निपटने और यह देखने के लिए व्यापक-आधारित रणनीति अपनाई गई है कि भारत में आई.एस.आई.एस. विचारधाराओं के सभी प्रसार का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जाए। इसके लिए, एक प्रभावी कट्टरपंथ विरोधी रणनीति अपनाई गई है और उसके बाद, कट्टरवाद प्रक्रिया भी अपनाई गई है और जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इसका वैचारिक रूप से मुकाबला किया जाना चाहिए, इसलिए सरकार ने सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों के संबंध में प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई.एस.आई.एस. की कट्टरपंथी विचारधारा भारत की जनता के बीच न फैले।

08.12.2015

(प्रश्न संख्या 123)

[हिंदी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, दालों के दामों में पिछले कई वर्षों में जिन लोगों ने पिछले दस वर्षों में इस देश में महंगाई बढ़ाई आज वही इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन को बाधित कर रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दालों के दाम बढ़ने के क्या कारण रहे हैं और महंगाई रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम बीते वर्षों में उठाए हैं?...(व्यवधान) इसके अलावा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, यदि आप आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो दालों के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रोडक्शन और डिमांड में काफी अंतर है...(व्यवधान) पिछली बार 193 लाख टन उत्पादन हुआ था और इस बार 172 लाख टन उत्पादन हुआ है...(व्यवधान) हमने पिछली बार 35 लाख टन आयात किया था, जबकि इस बार हमने 45 लाख टन इम्पोर्ट किया है...(व्यवधान) मूल्यवृद्धि का जो मुख्य कारण है, वह यह है कि हमारे यहां जो क्षेत्रफल है, वह दिनों-दिन घटता जा रहा है और यदि आप देखेंगे तो 252 लाख हैक्टेअर जमीन में 2013-14 में जो उत्पादन होता था, वह घटकर 231 लाख रह गया है। ...(व्यवधान)

तीसरी बात यह है कि जो आयात करते हैं, उसमें भी काफी धांधली होती है और जमाखोरी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले चालीस वर्षों में दाल के उत्पादन में 18.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...(व्यवधान) जबकि भारत की जनसंख्या में 130 परसैन्ट की वृद्धि हुई है। इसका नतीजा यह है कि चालीस साल पहले प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता 61 ग्राम थी, जो आजकल 32 ग्राम रह गई है। इसलिए मैंने कहा कि डिमांड और

सप्लाई का सबसे बड़ा कारण है, दूसरा जमाखोरी का कारण है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने इसके लिए कई कदम उठाये हैं, वह हमने जवाब में दे दिया है। उसमें एमएसपी का है, एक शार्ट टर्म प्रोग्राम है और दूसरा लांग टर्म प्रोग्राम है, ये सब हमने अपने जवाब में दे दिया है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: महोदया, 2014-15 में लगभग दो मिलियन मीट्रिक टन दाल का उत्पादन कम हुआ है और आपने राजस्थान समेत कई प्रदेशों में स्टाक की सीमा भी तय की है और स्टाक की सीमा तय करने से दाल के दाम कम होने लगे हैं। ...(व्यवधान) इसके कारण किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम भी नहीं मिल पा रहा है। व्यापारी भी स्टाक की सीमा तय होने के कारण खरीद नहीं पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टाक की सीमा बढ़ाने पर और भविष्य में दाल की बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैडम, स्टाक की सीमा 2007 से चल रही है और पहले इसमें जो तीन सैक्टर थे, जो आयात करते थे, दूसरा जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमैन्ट था और तीसरा जो बिग मॉल थे, उन्हें अलग रखा गया था। ...(व्यवधान) अब हमने उन लोगों को साथ में दे दिया है।

जहां तक स्टाक का मामला है, उस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है और राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरागथम: अध्यक्ष महोदया, यह हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा की दूरदृष्टि थी कि दालों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और तदनुसार हमारे द्वारा पहले से ही इस पर कार्रवाई की गई और 500 मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया और अब पी.डी.एस. के माध्यम से

दाल ₹30 प्रति किलोग्राम पर बेची जा रही है साथ ही राज्य में सहकारी दुकानों में यह ₹110 प्रति किलो ग्राम पर बेचीं जाती है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में, यह ₹200 और उससे अधिक के प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेची जा रही है।

महोदया, ऐसी खबरें भी हैं कि केंद्र द्वारा दालों के आयात में देरी हुई है और यह भी बताया गया है कि दो लाख टन दालें मुंबई बंदरगाह पर काफी लंबे समय से पड़ी थीं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु राज्य को अतिरिक्त दालें प्रदान करने के बारे में जानना चाहती हूं।

[हिंदी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जमाखोरी का मामला है या जमाखोरी के अंतर्गत जो भी सामान पकड़े गये हैं,...(व्यवधान) उस पर उन्होंने काफी तत्परता से काम किया है और जो सामान आयात किया है, उसे भी उन्होंने खरीदने का काम किया है।...(व्यवधान) इसके अलावा जो वहां की समस्या है, निश्चित रूप से तमिलनाडु राज्य की समस्या बहुत ही भयावह है। जहां तक आयात का मामला है, यह शिकायत मिली है कि जो इम्पोर्टर्स हैं, वे इम्पोर्टर्स वहां के पोर्ट पर माल खरीदकर रख देते हैं। ...(व्यवधान) यह मेल टुडे में भी निकला था, हमने उसकी रिपोर्ट की जांच करवाई है।

...(व्यवधान) जो विदेशी पोर्ट हैं, वहां से सामान खरीद कर वहां रख देते हैं, और धीरे-धीरे अपने देश में लाते हैं। फिर देश में आने के बाद भी जमाखोरी होती है। ...(व्यवधान) यह मुद्दा मेन राज्य सरकार का है और राज्य सरकार को हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। ...(व्यवधान) जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र की सरकार ने 87 हज़ार टन, जो ब्लैक माकेरटियर्स हैं, उनसे निकालने का काम किया

है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने हिदायत दी है कि आप इसको या तो पीडीएस के द्वारा डिस्ट्रिब्यूट करो, पीडीएस में नहीं कर सकते हो तो इसको फिक्स्ड प्राइस पर करो और वह भी नहीं कर सकते हो तो नीलामी के द्वारा करो। ...(व्यवधान) राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत: अध्यक्ष महोदया, दाल का प्रश्न पूरे देश में बहुत गंभीर हो रहा है। ...(व्यवधान) खास कर, जैसा कि मंत्री महोदय जी बताया है कि जमाखोरी और चोरबाज़ारी करने वालों के ऊपर छापे मारे हैं, सबसे ज्यादा जमाखोरी और चोरबाज़ारी महाराष्ट्र में हुई है। ...(व्यवधान) यह साबित हो रहा है कि करीबन 5250 छापे वहां मारे गए हैं और 86709 मीट्रिक टन दाल जब्त हो चुकी है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि दाल के जो भाव बढ़े हैं, उसका एक कारण दाल की चोरी और जमाखोरी हो सकता है। ...(व्यवधान) अगर हाँ, तो उसके बारे में केंद्र सरकार भविष्य में क्या प्रावधान करने वाली है? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि दाल की मूल्यवृद्धि में सबसे बड़ा कारण यह जमाखोरी रहा है। ...(व्यवधान) इस जमाखोरी को रोकने के लिए असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक माकेरटिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से हम लोगों ने बार-बार आग्रह किया है और कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह बात सही है कि करीब 86 हज़ार टन से ज्यादा सामान महाराष्ट्र सरकार ने जब्त किया है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने कहा था इस सामान को आप डिस्पोज़ ऑफ कीजिए और महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में कार्रवाई कर रही रही है। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले, यहां पर जो नारे लग रहे हैं कि नहीं चलेगा, होश में आओ, तो यह किसके बारे में कह रहे हैं? ...(व्यवधान) हमारे बारे में कह रहे हैं, अध्यक्षा के बारे में कह रहे हैं या ज्युडिशियरी के बारे में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

08.12.2015

माननीय अध्यक्ष : यह किसी को नहीं मालूम है, आप प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि दाल के उत्पादन में गए दस साल से उत्पादन और मांग के संबंध में जो मिसमैच है, सरकार इस संबंध में लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग करेगी? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैडम, लॉन्ग टर्म में सरकार के पास एमएसपी बढ़ाने का काम है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने 275 रूपये इस बार एमएसपी के बोनस के साथ में बढ़ाए हैं और कुछ दालों में 250 रूपये बढ़ाए हैं। ...(व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारी जमीन है, जितने हैक्टेयर में उत्पादन होता है, जैसा मैंने पहले बताया है कि जो दाल का उत्पादन होता था, वह अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। ...(व्यवधान) चूंकि दाल कोई कैश क्रॉप नहीं रह गया है तो नतीजा है कि दाल की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ...(व्यवधान) महंगाई का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विदेशों से, जहां से हम दाल मंगाते थे, जैसे मयंमार से मंगाते थे, अफ्रीका से मंगाते थे, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे या कनाडा से मंगाते थे, वहां स्वयं दाल की उपज कम हो गई है। ...(व्यवधान) एक तरफ हमारे यहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन की मांग 9 लाख टन प्रति साल बढ़ती जा रही है और उसका उत्पादन 192 लाख टन से घट कर के 172 लाख टन हो गया है तो दो मिलियन टन घट गया है और जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंपोर्ट के लिए केवल पांच हज़ार टन, जैसे अरहर और उड़द के लिए हम लोगों ने कई बार टेंडर दिया, छह-छह बार टेंडर दिया, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ...(व्यवधान) जब बाहर दाल नहीं है, अपने यहां दाल का उत्पादन कम हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण से ये दाल की कीमत बढ़ गई है। ...(व्यवधान) जो जमाखोर लोग हैं, वे जरूरत से ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं।...(व्यवधान) हम राज्य सरकारों से बार-

बार आग्रह कर रहे हैं और इस सदन के माध्यम से फिर राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहते हैं कि राज्य सरकारें जमाखोरों के खिलाफ कोई लापरवाही न बरतें, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें।...(व्यवधान) अभी भी यदि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा मैंने कहा कि 45 लाख टन, 11 लाख टन का गैप है, लेकिन 45 लाख टन जो इम्पोर्ट हुआ है और जो हमारे यहाँ उपज हुई है, दोनों का ठीक से संतुलन किया जाए तो दाम में कमी आ सकती है।...(व्यवधान) कहीं-कहीं दाम में कमी आई है और धीरे-धीरे महंगाई कम होती जा रही है।...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर[3]

तारांकित प्रश्न संख्या 124 से 140

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610

---

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

08.12.2015

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जाइए। ना आपके नेताओं ने, ना आपने कोई नोटिस दी है, मुझे मालूम ही नहीं है कि आप कौन सा विषय उठाना चाहते हैं? ऐसे में मैं आपको अलाऊ कैसे करूँ?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता किकौन सा इश्यू आप उठाना चाहते हो। इस तरीके से नारे लगाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। कोई बताए कि क्या इश्यू है? कृपया अपने स्थानों पर जाएं। यह उचित नहीं है ।

... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, सदन की कार्रवाई अच्छी तरह से चल रही थी।...(व्यवधान) हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं कि इनका जो विषय है, हमारे माननीय सदस्यगण जो विषय रखना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अपना विषय रखें।...(व्यवधान) न तो सदन को पता चल रहा है कि इनका विषय क्या है, स्पीकर महोदया न ही आपको पता चल रहा है कि इनका विषय क्या है?...(व्यवधान) अगर इस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य जो कल तक हमारे साथ थे, आज अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई कि वे इतने विचलित होकर सदन के भीतर आ गए हैं।...(व्यवधान) अगर ये अपनी बात बिना नोटिस के भी रखना चाहें तो अपनी सीट पर जाकर अपना विषय रखें।...(व्यवधान) हम सब सुनने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आखिर विषय क्या है, इसके बारे में वे अपनी कुर्सी पर जाकर बोलें।...(व्यवधान) हम सुनने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) इनका विषय क्या है, देश की जनता यह सुनना चाहती है।...(व्यवधान) देश की

जनता जानना चाहती है कि आखिर हमारे कांग्रेस के सदस्य इतने उत्तेजित होकर के सदन के भीतर क्यों आए हैं?...(व्यवधान) यह पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है और इसमें सरकार से उनकी क्या उम्मीद है, हम वह भी सुनना चाहते हैं।...(व्यवधान) यह बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है कि बिना नोटिस के, बिना कारण बताए, ये सभी सदस्य भीतर आ गए हैं।...(व्यवधान) आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, बाकी सदस्यों को भी नहीं पता, आखिर यह विषय है क्या, जिसके कारण ये सदन के भीतर आकर नारा लगा रहे हैं।...(व्यवधान) यह तो पता चलना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं भी जानना चाहती हूँ, मगर वे अपनी सीट पर जाएं, कोई बोले तो हम समझें।

... (व्यवधान)

08.12.2015

अपराहन 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर रखे गए पत्र।

उपभोक्ता मामले**,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री **(**श्री राम विलास पासवान**) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 31)- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय पूल के लिए धान की आधिप्राप्ति और कुटाई के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3264/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 जो 29 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0814(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3265/16/15]

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण नियम, 2015 जो 21 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.12.2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3266/16/15]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3267/16/15]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. एम. सिद्देश्वरा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क)	(एक)	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

	(दो)	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3268/16/15]
(ख)	(एक)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
	(दो)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3269/16/15]

(2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3270/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) असम राइफल्स (समूह 'ग' कम्बैटाइल्ड पद) भर्ती नियम, 2015 जो 27 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3271/16/15]

08.12.2015

(2) असम राइफल्स, वेटेरीनरी फील्ड असिस्टेंट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 जो 28 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3272/16/15]

[हिंदी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं श्री कृष्ण पाल के स्थान पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3273/16/15]

(ख) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

08.12.2015

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3274/16/15]

(3) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3275/16/15]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3276/16/15]

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ के अंतर्गत पादप संघरोघ (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश 2015, जो 15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का0आ0 2496 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3277/16/15]

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, श्री जयंत सिन्हा की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 34) – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3278/16/15]

(2) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 28) पेयजल और

स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3279/16/15]

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 33) – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के संबंध में जनजातीय उप-योजना (2011-2012 से 2013-2014) के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3280/16/15]

(4) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2015 का संख्यांक 26)–(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग के संबंध में सन्निर्माण संविदा पर सेवा कर की वसूली और संग्रहण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3281/16/15]

(5) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 29) – भारतीय रेल में सवारी डिब्बों में आग दुर्घटनाएं और भारतीय रेल में सुरक्षा मदों का वितरण और उनका उपयोग।

08.12.2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3282/16/15]

(6) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2015 का संख्यांक 30) – (अनुपालन लेखापरीक्षा) वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3283/16/15]

(7) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2015 का संख्यांक 37) - नौसेना और तटरक्षक बल।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3284/16/15]

(8) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 32) — विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3285/16/15]

(9) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2015 का संख्यांक 27)—पोत परिवहन मंत्रालय के संबंध में मुख्य पत्तनों में भू-प्रबंध के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3286/16/15]

(10) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 24) – (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वोल्यूम I और II)।

08.12.2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3287/16/15]

08.12.2015

अपराहन 12. 04 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा संशोधित विधेयक [4]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश दिया गया है कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में पारित किया गया था, को राज्य सभा द्वारा 7 दिसंबर, 2015 को हुई बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया है:-

खण्ड 4

1. पृष्ठ 2 पर, पंक्तियों 25 से 28 के स्थान ***पर***, निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित*** किया जाए, अर्थात्:

   "परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा संशोधित, धारा 142 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को हस्तांतरित, इस अधिनियम के अधीन स्थानांतरित माना जाएगा, जैसे कि वह उप-धारा सभी सामग्री समय पर लागू की गई थी। "

2. पृष्ठ 2 ***पर***, पंक्तियों 41 से 43 के स्थान पर, निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित*** किया जाए, अर्थात्:-

[4]*सभा –पटल पर रखा गया।

"अदालत, अदालत से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जहां धारा 142 की उप-धारा (2) के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को, जैसा कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, स्थानांतरित करेगा, जिसके समक्ष पहला मामला दायर किया गया था और लंबित है, जैसे कि वह उप-धारा उस समय पर लागू थी।"

<u>खंड 5</u>

3. पृष्ठ 2 ***<u>पर</u>***, पंक्ति 44 के स्थान पर, निम्नलिखित को ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए, अर्थात्:-

निरसन और बचत	"5. (1) परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015, को पुन: लाया जाता है। "	अध्यादेश 2015 का 7।

अत: मैं उक्त विधेयक को राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध के साथ वापस लेता हूं कि उक्त संशोधनों के लिए लोक सभा की सहमति इस सभा को दी जाए।'

अध्यक्ष महोदया, मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को सभा पटल पर रखता हूँ, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिया गया है।

08.12.2015

अपराहन 12.05 बजे

[अनुवाद]

सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति

9वां तथा 10वां प्रतिवेदन

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन तथा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

———

अपराहन 12.06 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

(1) 8वां प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों – 2015-16' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। आप खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

(2) विवरण

श्री दिनेश त्रिवेदी: मैं महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए भारतीय रेल की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं' के बारे में समिति के 23 वें प्रतिवेदन (15वींलोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 6 प्रतिवेदन के अध्याय - I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

... (*व्यवधान*)

08.12.2015

अपराहन 12.06 1/2 बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 (2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति के रूप में उल्लिखित) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 (2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति के रूप में उल्लिखित) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

08.12.2015

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*व्यवधान*)

08.12.2015

अपराहन 12.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 7 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रालय समिति के 23वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 7 दिसम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रालय समिति के 23वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*व्यवधान*)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, *'शून्य काल'।*

08.12.2015

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को इस बात की सहमति देनी होगी कि बीजू जनता दल ने कोई विषय उठाने की बात कही है। वे सभी सदस्य यहाँ आए, हम लोगों ने आग्रह किया, वे सदन में अपनी सीट पर चले गए हैं। आप कृपया उनसे बुलवाएँ और इनसे आग्रह करें कि बाकी सदस्यों की बात सुनने का थोड़ा सा पेशेन्स रखें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जी, श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी।

… (*व्यवधान*)

श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी (भुवनेश्वर): जिस तरह से पोलावरम परियोजना के मामले में हमारी चिंता का समाधान किए बिना ओडिशा राज्य के हितों का बलिदान किया जा रहा है, उस पर मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : पाटसाणी जी एक मिनट बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, आप क्यों खड़े हैं? मुझे नहीं पता।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आपको कोई बात कहनी है क्या? यह कोई तरीका नहीं है । हाउस में इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ जाता। आप सीनियर हैं, आप समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है।

08.12.2015

… (*व्यवधान*)

श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद परियोजना का निर्माण एकतरफा ढंग से चल रहा है।… (*व्यवधान*) यहां तक कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी कथित तौर पर ओडिशा राज्य की समस्या पर विचार किए बिना ओडिशा राज्य के भीतर आदिवासी गांवों के जलमग्न होने को रोकने के लिए ओडिशा क्षेत्र के अंदर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर तटबंध के उपबंधों के आधार पर परियोजना को स्वीकृति दे दी है। … (*व्यवधान*)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जनवरी 2011 को पोलावरम परियोजना की सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी किया था। (*व्यवधान*) इसके बावजूद केंद्र सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ रूपये की राशि को क्या सोच कर स्वीकृति प्रदान की है? (*व्यवधान*) यह एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें गरीब, दलित लोगों के 620 गाँव डूबे जायेंगे। … (*व्यवधान*) तो, यह मेरे ओडिशा राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। (*व्यवधान*)

मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक पहले ही अनुरोध कर चुके हैं और एक पत्र के माध्यम से इस संबंध में निवेदन कर चुके हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि स्थानीय सांसद को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए। मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए, इस संबंध में संसद में इस पर वाद-विवाद और चर्चा की जानी चाहिए। … (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया, आपको माननीय मंत्री जी को काम रोकने और इस संबंध में जवाब देने का आदेश देना चाहिए।… (*व्यवधान*)

08.12.2015

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): हम इस सभा में इस संबंध में आपका जवाब चाहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम इस मुद्दे पर मंत्री जी से जवाब की मांग करते हैं। वे एकतरफ़ा तरीके से उस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: बार-बार, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाएं। सूखे पर चर्चा करनी है, शून्यकाल लेना है, आपका इश्यू मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाइये, आपको जो कुछ भी कहना है, मैं आपके नेता को बोलने की अनुमति दूँगी, लेकिन यह तरीका सहीं नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुद्दा क्या है। मुद्दे को जाने बिना, हम मुद्दे को कैसे हल कर सकते हैं? आप सभी को अपने-अपने स्थानों पर वापस जाना चाहिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसे अनुमति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह तरीका सहीं नहीं है। इस तरीके से आप सदन का काम नहीं करने दे रहे। यह वास्तव में बहुत ही गलत है, भर्तृहरि जी, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आप नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही आगे बढे।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या यह कोई तरीका है?

अब, सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराहन 12.12 बजे</u>

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

08.12.2015

अपराहन 2.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले [5*]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के तहत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से मामले की प्रति तुरंत सभा-पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा-पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके संबंध में मामले की प्रति को निर्धारित समय के भीतर पटल पर रखा गया है; शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (*व्यवधान*)

अपराहन 2.01 बजे

(इस समय श्री के. सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

[5*] सभा- पटल पर रखे माने गए ।

08.12.2015

(एक) उत्तर प्रदेश विशेषत: सहारनपुर जिले के किसानों से निर्धारित नियमों के अनुसार धान की खरीद किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता।
[हिंदी]

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उत्तर प्रदेश राज्य में धान की पैदावार करने वाले किसान अपनी धान की फसल की बिक्री को लेकर परेशान हैं। राज्य में एक भी जनपद में धान खरीद केंद्र समय से संचालित नहीं हो पाया है।

मेरे जनपद में सहारनपुर में धान क्रय केंद्र खुलने की तिथि निधाररित तो 01 अक्टूबर की गयी थी, किंतु ये धान क्रय केंद्र नवम्बर माह में ही खुल पाए हैं जबकि जनपद में धान खरीद का लक्ष्य 2300 मीट्रिक टन निधाररित किया गया था।

14 धान खरीद केंद्र सहारनपुर जनपद में राज्य सरकार द्वारा खोले गये और उन सभी केंद्रों में किसान की धान की फसल खरीदने में केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से आनाकानी की जाती है और आधिकांश किसानों को बैरंग ही लौटा दिया जाता है जिस कारण किसान अपनी फसल को बाजार में औने-पौने मूल्य में बेचने को विवश हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में धान खरीद का सरकारी मूल्य जहां 1410 रूपए से 1440 रूपए निधाररित था लेकिन बाजार में मूल्य 1000 रूपए से 1100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसान अपनी फसल बेचने को बाध्य हैं।

सहारनपुर में अब तक मात्र 450 मीट्रिक टन धान खरीदा जा सका है और जनपद में धान उत्पादन का जहां एक प्रमुख स्थल होता था, 150 से ज्यादा चावल मिल्स जनपद में स्थापित थीं, वहीं वर्तमान में मात्र 14 चावल मिल्स ही संचालित हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश जारी करे कि धान की पैदावार करने वाले किसानों की फसलों की खरीद सही तरीके से हो और

धान क्रय केंद्रों पर कथित रूप से किसानों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

(दो) फसलों को हुए नुकसान के लिए विशेषत: उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत राशि सीधे दिए जाने हेतु तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : विगत रबी मौसम के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों एवं देश के कई राज्यों में आतिवृष्टि एवं चक्रवात के कारण किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गई है जिसमें केंद्र सरकार ने पर्याप्त राहत राशि भेजी और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को उस राशि से आतिरिक्त आवश्यकतानुसार आपदा राहत कोष से वितरण करने का भरोसा भी दिया। लेकिन खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों चन्दौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर एवं अन्य अनेक जिलों में फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए लेखपाल एवं राजस्व कर्मियों द्वारा आकलन के बाद भी सभी वांछित किसानों को राशि वितरित नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस वर्ष भी प्रकृति की मार से 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। किसानों को फिर एक बार दोहरी मार झेलनी पड़ी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार संघीय ढांॅचे की व्यवस्थाओं को क्षति पहुंचाये बिना नियमानुसार एक ऐसा पारदर्शी संयुक्त उपक्रम बनाये जिससे किसानों को केंद्र सरकार से भेजी गई राशि सीधे प्राप्त हो सके ताकि किसान अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा पैसा प्राप्त कर उसे उपयोग कर सकें।

08.12.2015

(तीन) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु गुजरात में उनकी पुनः गणना कराए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : भारत की आबादी में गरीबों का अनुपात हमेशा विवाद में रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान और नीति-नियंताओं की दिलचस्पी सदा इस बात की रही है कि देश में गरीबी को कम से कम और तेजी से घटते हुए दिखाया जाए ताकि प्रचलित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं की प्रासंगिकता नजर आए। सामाजिक, आर्थिक जनगणना के नतीजों ने इसकी पुष्टि की है। वर्ष 2011 में सामाजिक व आर्थिक आयाम को भी शामिल किया गया। इस जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में एक तिहाई परिवार गरीब हैं और ऐसा हर पांचवा परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखता है। ग्रामीण भारत के सवा तेरह फीसद परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। बी.पी.एल. के आंकड़े कुछ भी हो, असंगठित क्षेत्र की रोजगार असुरक्षा और कृषि क्षेत्र के व्यापक संकट से गरीबी को मापने के अब तक अपनाए जाते रहे पैमानों पर सवालिया निशान लगा दिया है और जो गणना अब तक हुई है, उसमें हुई गड़बड़ी के कारण बी.पी.एल. में आने वाले बहुत लाभार्थी वंचित रह गये हैं और जनगणना में बहुत गड़बड़ी हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों की पुनः गणना करायी जाए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ सभी बी.पी.एल. परिवारों को मिल सके।

08.12.2015

(चार) मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर (मध्य प्रदेश) में रक्षा उत्पादन से संबंधित कई बड़ी इकाइयों के साथ ही केंद्र पोषित कई संस्थान स्थापित हैं। जबलपुर में वर्तमान में लगभग 9 केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिनमें न्यूनतम फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है। जबलपुर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय मुख्यालय भी स्थापित है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और न्यूनतम फीस के कारण हर आभिभावक अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश कराना चाहते हैं। हर वर्ष आभिभावक अपने बच्चों को जबलपुर के केन्द्रीय विद्यालयों में एडमिशन का आवेदन करते हैं और इन आवेदनों की संख्या हज़ारों में होती है।

जबलपुर में वर्तमान में कई ऐसे केन्द्र पोषित संस्थान हैं जिनमें नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रावधान किया जा सकता है जैसे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, ग्रे आयरन फैक्ट्री, जम्मू एण्ड कश्मीर रायफल्स, ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेन्टर के साथ ही जबलपुर प्रशासन के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जा सकते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जबलपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग पर शीघ्र विचार किया जाए।

08.12.2015

(पांच) राजस्थान के करौली जिले में कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य से जोड़े जाने की आवश्यकता।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला करौली स्थित कैलादेवी अभ्यारण्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कैलादेवी अभ्यारण्य सवाई-माधोपुर के रणथम्भौर अभ्यारण्य से लगा हुआ है। रणथम्भौर अभ्यारण्य पूरे देश में टाइगर संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे लगा कैलादेवी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चार गुना आधिक बड़ा है। रणथम्भौर अभ्यारण्य में क्षेत्रफल की कमी के कारण इसके टाइगर कैलादेवी अभ्यारण्य में समय-समय पर विचरण करते हैं। यदि कैलादेवी अभ्यारण्य को रणथम्भौर अभ्यारण्य से जोड़ते हुए इसका एक रास्ता कैलादेवी-करौली होते हुए बनाया जाता है तो इससे करौली, धौलपुर, दौसा व भरतपुर जिलों में पर्यटन का विकास होगा एवं टाइगरों को विचरण के लिए पर्याप्त स्थान भी मिलेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि करौली जिले के कैलादेवी अभ्यारण्य को सवाई-माधोपुर के रणथम्भौर अभ्यारण्य से जोड़ते हुए इसका विकास करवाकर पर्यटन को बढ़ावा दिलाएं।

08.12.2015

(छह) राजस्थान के सिरोही जिले में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का आभिन्न पहलू हैं। खेल शिक्षा एवं मानव के व्यक्तित्व विकास का भी अखण्ड हिस्सा हैं। खेलों की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलों के उपयुक्त बुनियादी ढॉचे की जरूरत है। देश में बच्चों, किशारों और युवाओं की आबादी 77 करोड़ है। इनमें से महज पांॅच करोड़ की पहुंच संगठित सुविधाओं तक है और ये सुविधाएं भी शहरी इलाकों तक सीमित हैं। करीब 75 प्रतिशत आबादी मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेलों की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिरोही और जालौर दोनों जिले की जनसंख्या लगभग 38 लाख 85 हजार 286 है। इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोनों जिलों में खेल प्रतिभा के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। युवाओं के अंदर बचपन से ही खेल कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा खेल को कैरियर के रूप में चुन सकें। यहां के खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधा मिले तो ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में पूर्णतः समर्थ हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के सिरोही और जालौर दोनों जिलों में खेल प्रतिभा के समुचित विकास के लिए सिरोही जिले में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।

08.12.2015

(सात) अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी फेडरेशन की बैठकों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली): मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान पिछले डेढ़ साल में अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी फेडरेशन (ए.आई.ओ.बी.सी.आर.ई.एफ.) के पदाधिकारियों की सूची में चल रही कथित अनियमितताओं और विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को उस तारीख के कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति रजिस्टर की जांच करने की भी जहमत नहीं है, जिस दिन दिल्ली में ए.आई.ओ.बी.सी.आर.ई.एफ. की सी.ई.सी. बैठक में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। यदि कर्मचारी दिल्ली से दूर अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि उसने सी.ई.सी. बैठक में भाग लिया है? रेलवे बोर्ड के अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त की वास्तविकता की जांच करने में विफल रहे और फेडरेशन के मूल रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया। इसके अलावा, फेडरेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज से प्रमाणन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, फिर भी ऐसी संदिग्ध समितियों को सरकारी खजाने की कीमत पर रेलवे द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका समाधान करने हेतु रेलवे अधिकारियों ने मुझे कई बार अदालत जाने की सलाह दी है, परंतु वे अपनी संस्थानिक गलतियों को ठीक नहीं करना चाहते हैं।

08.12.2015

(आठ) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 42 अंगीभूत और 24 कालेज संबद्धता (मान्यता प्राप्त) कालेज हैं। प्राचीन काल में मिथिला की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रही है, खासकर दर्शन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। वर्तमान में मिथिला का यह भू-भाग कई कारणों से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहा है, उद्योग विहीन है, कृषि ही इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा है। लोग अपने बच्चों को उच्च एवं बेहतर शिक्षा के लिए दूर भेजने में असमर्थ हैं। इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो।

(नौ) महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता ।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : केंद्र सरकार की इंदिरा आवास विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 में हुई जनगणना के आधार पर चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को अभी तक महाराष्ट्र राज्य के भंडारा व गोंदिया जिलों में आवास सुविधा उपलब्ध न हो पाना एक अत्यंत गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है, जिसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े व अन्य वर्गों के चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों में काफी रोष व्याप्त है। योजना के अंतर्गत पिछड़े व अन्य वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन संबंधित

आधिकारियों की शिथिलता के चलते आज तक चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को आवास आवंटन की योजना अधूरी पड़ी है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आवास योजना से संबंधित मामलों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए और शीघ्र ही इस योजना के अंतर्गत भंडारा-गोंदिया जिलों के चिन्हत बी.पी.एल. परिवारों को आवास के आवंटन हेतु सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(दस) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : राजगढ़ जिला (मध्य प्रदेश) मुख्यतः कृषि प्रधान जिला है। यहां की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है। राजगढ़ जिले में गेहूं, चना, मक्का, प्याज, लहुसन, आदि की खेती की जाती है। साथ ही साथ इस जिले में सोयाबीन, धनिया, संतरा, आंवला एवं सीताफल आदि की खेती भी प्रमुखता से की जाती है। यहां के कृषि उत्पादों की पूरे देश में आपूर्ति की जाती है किन्तु इन उत्पादों के उचित रख-रखाव और संग्रहण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आधिकांशतः फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है।

राजगढ़ जिले में अगर मेगा फूड पार्क व फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर दी जाए तो हमारे अन्नदाता किसान भाईयों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ तो मिलेगा ही, कृषि उत्पादों का नुकसान होने से भी बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से देश और विदेशों तक आसानी से एवं सुरक्षित रूप से निर्यात हो सकेगा और क्षेत्र के गरीब किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

08.12.2015

राजगढ़ जिले में मेगा फूड पार्क एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से सिर्फ किसानों और कृषि कार्य में संलिप्त लोगों को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ के अन्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और रोजगार का सृजन होगा। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन, रोजगार न होने के कारण होता है। मेगा फूड पार्क की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा। साथ ही, हमारी सरकार को खेती के व्यवसाय को लाभप्रद बनाने एवं अंतिम व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य भी सार्थक होगा।

(ग्यारह) न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचारण किए जाने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए ''सबका साथ-सबका विकास'' का संकल्प लिया है जिसे देश की जनता साकार करने में जुटी है। मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ''सबका साथ और सबका विकास'' के संकल्प के साथ सबको पारदर्शी एवं शीघ्र न्याय का संकल्प भी जोड़ दें तो देश के करोड़ों लोगों को न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता की मांग पर सभी अदालतों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का आदेश दे चुके हैं और इसमें होने वाले पूरे खर्च को केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का विश्वास भी दिला चुके हैं।

अतः मेरा माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में एक बिल तुरंत लोक सभा में लाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

08.12.2015

(बारह) सबरी रेल परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से सबरी रेल परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने का अनुरोध करता हूँ। सबरी रेल केरल की एक विशेष परियोजना है क्योंकि यह सबरीमाला मंदिर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। सबरीमाला मंदिर में हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से चार करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा, सबरी रेल केरल राज्य को कई दूरदराज के क्षेत्रों से भी जोड़ती है। यह परियोजना 1997-98 रेलवे बजट में घोषित की गई थी, परंतु यह अभी तक लंबित है। पिछले 18 वर्षों के दौरान सरकार ने इस परियोजना पर ₹163 करोड़ की धनराशि खर्च की है जबकि कार्यान्वयन की वास्तविक लागत ₹1600 करोड़ है। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान केरल के माननीय मुख्यमंत्री के हालिया बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत लागत वहन करेगा। इसलिए, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह सबरी रेल परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में आगे कदम उठाने की कृपा करें।

08.12.2015

(तेरह) मणिपुर में अश्वारोहण संबंधी खेलकूद के लिए टट्टुओं की संख्या का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): सागोल कांगजेई आधुनिक खेल पोलो की जननी है। मणिपुरी भाषा में सगोल का मतलब टट्टू/घोड़ा होता है। 'कांगजेई' का अर्थ है पोलो स्टिक। इसका उपयोग खिलाड़ी द्वारा टट्टुओं पर चढ़कर खेल खेलने और बांस की डंडी से बनी सफेद गेंद (कंगड्रम) को मारने के लिए करते हैं। पोलो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी राजपरिवार और समाज के उच्च वर्ग द्वारा खेला जाने वाला खेल रहा है। मणिपुर में, यह हमेशा से आम जनता द्वारा खेले जाने वाला खेल रहा है। मणिपुर में पोलो की प्राचीनता मिथकों और रीति-रिवाजों में छिपी हुई है। मणिपुर की पौराणिक कथाओं में टट्टुओं का प्रमुख स्थान है और मणिपुर के सामाजिक जीवन में उनकी निर्विवाद उपस्थिति है: गुमनामी में जन्मा, सभ्यता से पहचाना गया, पोलो छद्म रूप से विश्व खेल बन गया। हालांकि यह राजसी खेल हमेशा मणिपुरी लोकाचार का एक अभिन्न हिस्सा रहा था, वह ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने वास्तव में इसे दुनिया में जगह दी।

पोलो खेल चार खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच घास के मैदान पर और दो गोल पोस्टों के बीच घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। यह घुड़सवारी का सबसे पुराना खेल है। इस खेल के प्रमुख संरक्षक राजा क्याम्बा और राजा खगेम्बा (1597-1672 ई.) और राजा चंद्र कीर्ति (1850 - 1886 ई.) थे। राजा खगेम्बा को विशेष रूप से, दुनिया के अन्य हिस्सों में इस खेल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 1991 संस्करण में पृष्ठ 288 पर लिखा है, "पोलो: उत्पत्ति: पोलो की उत्पत्ति का पता 3100 ईसा पूर्व मणिपुर राज्य में लगाया जा सकता है। जब इसे सगोल कांगजेई के रूप में खेला जाता था। सबसे पहला क्लब कछार क्लब था जिसकी स्थापना 1859

में भारत के असम में हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब अभी भी अस्तित्व में है, वह कलकत्ता पोलो क्लब (1862) है।

मणिपुर पोलो इंटरनेशनल ने हाल ही में मणिपुर मेगा टूरिज्म फेस्टिवल- संगाई फेस्टिवल के दौरान इम्फाल के सबसे पुराने पोलोग्राउंड, मैपल कांगजेइबुंग में अपने टूर्नामेंट का 9वां संस्करण आयोजित किया है।

मैं केंद्र सरकार और विशेष रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह मणिपुर में टट्टुओं की लगातार घटती संख्या की रक्षा करने और इसका संरक्षण करने के लिए मणिपुर की राज्य सरकार की सहायता करें और साथ ही इस सबसे पुराने घुड़सवारी खेल को उसकी पूरी महिमा के साथ बढ़ावा दें।

08.12.2015

(चौदह) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री एस.पी. मुद्दानुमे गौड़ा (तुमकुर): मैं देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता के बारे में माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आंगनवाड़ी केंद्र देश में विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों को पोषण, बुनियादी शिक्षा आदि के संबंध में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः ₹6,000/- और ₹3,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है जोकि बहुत ही कम है। आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आमतौर पर बहुत गरीब परिवार से आती हैं, उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

08.12.2015

(पंद्रह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर वेल्लोर और वन्नियमबाडी के बीच अंडरपास और एलीवेटेड टॉलवेज़ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का वह हिस्सा जोकि वेल्लोर और वान्नियमबाड़ी के बीच है वह क्षेत्र दुर्घटना संभावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का रखरखाव और संचालन एल एंड टी टोलवे रियायतकर्ता के पास है जो पल्लीकोंडा और वान्नियमबाड़ी में दो टोल बूथ संचालित करता है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सथुवाचारी, नाइकनेरी, एस.एन. पलायम, अंबूर और वान्नियमबाड़ी में होती हैं। सथुवाचारी, नाइकनेरी और वान्नियमबाड़ी में अंडरपास के निर्माण के लिए एन.एच.ए.आई. और इसकी रियायती कंपनी एल एंड टी टोलवे लिमिटेड से; अंबुर में एलिवेटेड टोलवे; और एस.एन. पलायम आदि में सड़क के मोड़ को सीधा करने के लिए कई अपील की गई हैं। येल्लोर में, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 काफी उलझा सा रास्ता है। वहीं ग्रीन सर्कल महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पर है, यह यातायात को आसान बनाने में मदद करने के बजाय यातायात प्रवाह को बाधित करता है। सड़क के गलत तरफ आवागमन होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यह टोल-बूथ देश में सबसे अधिक टोल एकत्र करते हैं। यहाँ तक कि कृषि उपज को भी इससे नहीं बख्शा जाता हैं। सबसे अधिक टोल एकत्र करने के बावज़ूद, एल एंड टी रियायतकर्ता घायलों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं रखता है। टोल-बूथ कर्मचारी, जन प्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं और अहंकारपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एल एंड टी के दोनों टोल बूथ 60 कि.मी. की दूरी पर हैं जो कि अवैध है। मंत्रालय को इन टोल बूथों को ध्वस्त कर देना चाहिए। अंबूर में, एन.एच.ए.आई. सड़क विस्तार करने का विचार कर रहा है जिससे लगभग 50000 लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इसके बजाय, एन.एच.ए.आई. एक ऐलिवेटिड़ संरचना के माध्यम से सड़क बना सकता है और इन लोगों को प्रभावित होने से बचा सकता है। अत: मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

से अनुरोध करता हूं कि वे वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 की देखरेख करने वाले एन.एच.ए.आई. और एल एंड टी रियायतकर्ता को अंडरपास और ऊंचे टोलवे बनाने, लोगों के प्रतिनिधियों के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करने, टोलबूथ को 60 कि.मी. की दूरी पर रखने, टोल शुल्क को न्यूनतम करने और चिकित्सा आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए तत्परता की स्थिति में कम से कम 2 एम्बुलेंस रखने का निर्देश दें।

08.12.2015

(सोलह) टिंडीवनम-नागरी नई बड़ी लाईन का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता।

श्री जी. हरि (अराकोन्नम): टिंडीवनम-नागरी नई बड़ी लाईन 180 किमी की दूरी तय करती है और तमिलनाडु में विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर और तिरुवल्लूर जिलों और आंध्र प्रदेश में चित्तूर से होकर गुजरती है। यह चेय्यर और पलार नदियों से गुजरती है। नए मार्ग में 12 प्रमुख पुल, 114 छोटे पुल, 66 लेवल-क्रॉसिंग, सड़कों पर 11 ओवर-ब्रिज और 30 अंडर-ब्रिज शामिल होंगे। प्रस्तावित लाइन 5 जिलों के 8 तालुकों, तमिलनाडु के 4 और आंध्र प्रदेश के 1 तालुक को कवर करेगी। इनमें से 4 तालुकों वंदावसी, चेय्यर, अर्कोट और पल्लीपट्टू को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

हालांकि टिंडीवनम से नागरी तक ₹498 करोड़ के इस नए रेल मार्ग का उद्घाटन अगस्त 2007 में पुराने रानीपेट स्टेशन पर हुआ था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें नाममात्र की प्रगति हुई है।

अतः मैं केंद्र सरकार से इस परियोजना हेतु पर्याप्त धन आवंटित करने और इस नई बड़ी लाइन के निष्पादन और इसके पूरा होने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता हूं, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पांच जिलों में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

08.12.2015

(सत्रह) देश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए किसानों को उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद तथा पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से फल और फसल बीमा योजना चलाई जाती है लेकिन इस योजना का लाभ देश के किसी भी लोक सभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए यह योजना किसानों के लिए है या बीमा कंपनियों के लिए है, यह गहन सोच का विषय है। बीमा कंपनी के माध्यम से हर साल करोड़ों रूपयों का बीमा निकाला जाता है लेकिन किसानों को इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी तथा कोई बीमा दस्तावेज तक नहीं मिलता है। इसलिए उनकी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह दावा भी पेश नहीं कर पाते हैं। यह सब बीमा कंपनी की इच्छानुसार कारोबार चलता है। किसानों के बैंक खाते से बीमा योजना की राशि की कटौती होती है लेकिन उनको इसकी कोई भी रसीद बीमा कंपनी से नहीं मिलती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सभी बीमाधारक किसानों को पैसे भरने की रसीद और संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

08.12.2015

(अठारह) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का शब्दशः कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को इंगित करना चाहता हूँ।

संसद द्वारा पारित अधिनियम की अनुसूची 8 के अनुसार, तय समय तक हैदराबाद का प्रशासन दो राज्यों के राज्यपालों के सीधे नियंत्रण में रहेगा जबकि अधिकारों की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, जीवन की सुरक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों सहित हैदराबाद का प्रशासन हैदराबाद की सामान्य राजधानी के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा है। इसके बावजूद कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश के लिए अनुकूल तरीके से नहीं किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अंतः, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अधिनियम के प्रमुख मुद्दों पर तुरंत ध्यान दें और यह सुनिश्चित करे कि इसे शब्दशः लागू किया जाए।

08.12.2015

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के मुख्यालय पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है। जनपद की जनसंख्या लगभग 32 लाख व क्षेत्रफल 3800 वर्ग किलोमीटर से आधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जनपद में एक छोर से दूसरे छोर तक की पहुंच भी लगभग 100 किलोमीटर है। यहां आभिभावक अपने बच्चों को केन्द्रीय स्कूल में ही शिक्षा दिलाना चाहते हैं जो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है। क्षेत्रीय जनता एवं केन्द्रीय एवं राज्यकर्मियों की मांग पर मैंने पूर्व में भी जिलाधिकारी के माध्यम से एक भूमि का प्राक्कलन व केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था।

उत्त परिस्थितियों में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण आति आवश्यक है, क्योंकि पड़ोसी व अन्य जनपदों के केंद्रीय विद्यालय में मेरे विवेकाधीन कोटे से जो भी प्रवेश गरीब बच्चों के होते हैं, उनके आभिभावकों पर सुरक्षा, संरक्षण व वित्तीय भार की चिंता रहती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े जनपद प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में वित्तीय वर्ष में एक केंद्रीय विद्यालय बालक और बालिकाओं के उच्च स्तर की शिक्षा हेतु निर्माण कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष में धन आवंटन करने की कृपा करें।

08.12.2015

(बीस) सफेद मक्खी के आतंक से प्रभावित हरियाणा के कपास उत्पादकों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सफेद मक्खी के अभूतपूर्व हमले ने हरियाणा राज्य में अधिकांश कपास फसलों को नुकसान पहुंचाया था और कपास की खेती वाली 5.83 लाख हेक्टेयर भूमि का लगभग 3.06 लाख हेक्टेयर का हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। इससे किसानों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए, केंद्र सरकार को प्रभावित किसानों को मुआवजा देने और इस संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए हरियाणा राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। राज्य के किसान आज भी पर्याप्त मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं और अपना कर्ज़ माफ़ करने की गुहार लगा रहे हैं। राज्य में किसानों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

08.12.2015

(इक्कीस) चांदखीरा बागान से कहन्मुन और बेरोइग्राम से दुल्लावचेरा रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज) : कुछ वर्ष पहले दुल्लाबचेरा खंड को चेरागी तक विस्तार करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन इस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक (निर्माण) ने मिजोरम को जोड़ने के लिए पत्थरकांडी से कहन्मुन तक एक और ब्रॉड गेज लाइन का सर्वेक्षण किया और विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और मुझे लिखित रूप में भी सूचित किया है। मैंने एन.एफ. रेलवे, मालेगांव के महाप्रबंधक (निर्माण) के समक्ष यह मामला उठाया और चांदखीरा बागान रेलवे स्टेशन से पत्थरकांडी के बजाय कहन्मुन तक ब्रॉड गेज लाइन शुरू करने का अनुरोध किया, क्योंकि चांदखीरा बागान रेलवे स्टेशन को जंक्शन बिंदु बना दिया जाए तो रेल यात्रियों के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। विभाग के पास चांदखीरा में भूमि सहित सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

हाल ही में रेल मंत्री ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति वर्ष लगभग 500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। अब करीमगंज-अगरतला खंड और बेरोइग्राम से दुल्लाबचेरा खंड पर पथरकंडी और चांदखीरा में आमान परिवर्तन चल रहा है।

अतः, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ' चांदखीरा बगान रेलवे स्टेशन से कहन्मुन' और 'बेरोइग्राम से दुल्लाबचेरा खंड' तक दोनों परियोजनाओं को जोकि अभी भी रेलवे के मानचित्र से बाहर है, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

08.12.2015

(बाईस) मुल्लापेरियार बांध से नीचे की ओर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध से पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। केरल राज्य समझौते की मौजूदा शर्तों के अनुसार तमिलनाडु के साथ पानी साझा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहा है। हमारी एकमात्र चिंता बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर है। यह सच है कि भूकंप या बाढ़ की स्थिति में बांध सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आई.आई.टी. रूड़की सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रमाणित है, बांध भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। सरकार को बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें बांध के पुराने होने और इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सदियों पुरानी तकनीक के कारण इसके सुरक्षा पहलुओं से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है। यह देखने के बाद कि बांध असुरक्षित है, केंद्रीय जल आयोग ने वर्ष 1979 में बांध की भंडारण क्षमता को घटाकर 116 फीट कर दिया है। अब जल स्तर 142 फीट तक बढ़ा दिया गया है जो 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा करता है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तमिलनाडु को पानी उपलब्ध कराकर और बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करके दोनों राज्यों के हितों की रक्षा की जाए।

08.12.2015

[हिंदी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन की कार्यवाही बाधित है।...(व्यवधान) सुबह से हाउस में इस तरह से डिस्टर्बेंस बना हुआ है।...(व्यवधान) हम बिल्कुल चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले।...(व्यवधान) जो भी विषय हों, यदि आपके पास उसकी नोटिस है, और यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें सदन में अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान) इसके आतिरिक्त माननीय स्पीकर के पास यदि कोई नोटिस हो।...(व्यवधान) हम पूरी तरह से इनके विषय को सुनना चाहते हैं, इनके विषय को समझना चाहते हैं।...(व्यवधान) लेकिन, अगर कोई बाहर की घटना हुई हो, जिससे ये सब आंदोलित हैं, और इन्हें लगता हो कि सरकार ने इसमें कुछ किया है।...(व्यवधान) ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाहर टिप्पणियां दे रहे हैं, बाहर वक्तव्य दे रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन, देश हमारे माननीय सदस्यों को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सुनना चाहता है कि आखिर विषय क्या है, जिसके कारण वे सदन के भीतर इस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है।...(व्यवधान) आज सुखाड़ के विषय पर चर्चा है, जिसकी आपने अनुमति दी है।...(व्यवधान) उसमें सैंकड़ों की संख्या में माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं।...(व्यवधान) पूरे देश के किसान इस संसद की तरफ देख रहे हैं कि आखिर हमारे माननीय सांसद हमारी इस बदहाली के लिए, हम पर प्रकृति का जो प्रकोप पड़ा है, जिस प्रकार से हम प्रभावित हैं, पूरे देश में सूखा पड़ा है, सभी सुनना चाहते हैं कि हमारे माननीय सदस्य सूखे के सवाल पर किस प्रकार सदन में विषय उठाते हैं।...(व्यवधान) लेकिन, बड़ा अफ़सोस है कि कांग्रेस के मित्र बिना कोई कारण दिए हुए, पूरे सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।...(व्यवधान) यहां तक कि जितने दूसरे माननीय सदस्य हैं, उनके भी पूरे

प्रयास को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि सूखे के सवाल पर, जब देश के 70 करोड़ किसान भारत के इस पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र सूखे के सवाल पर चर्चा को सदन में चलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) यह देश के गरीब किसानों के साथ कहां तक न्याय है? आज पूरे देश में सुखाड़ के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें अन्न का उत्पादन प्रभावित हुआ है और सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित हुआ है।...(व्यवधान) आज भी सरकार बार-बार यह कह रही है कि किसानों के लिए विशेष चर्चा की जाए।...(व्यवधान) उसमें हमारे कृषि मंत्री जवाब देना चाहते हैं।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि जो कुछ हम करेंगे, गरीब के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, नौजवान के लिए करेंगे।...(व्यवधान) क्या ये कांग्रेस के सदस्य पूरे देश को यह बताएंगे कि आखिर किस विषय पर ये सदन के भीतर इस प्रकार से नारा लगा रहे हैं? यदि बाहर का कोई मामला है, जैसा कि हमें लगता है, हमें जानकारी नहीं है, जो हमारा अनुमान है कि बाहर में किसी कोर्ट के विषय को लेकर, जिसमें कोर्ट ने किसी विषय का संज्ञान लिया है, इनकी अपनी एक अपील थी, जिसे कोर्ट ने खारिज़ कर दिया है।...(व्यवधान) देश का कानून सबके लिए बराबर है।...(व्यवधान) यह केस कोई आज का केस नहीं है, जिसके बारे में चर्चा करें।...(व्यवधान) यह केस तो वर्षों से है और इसका संज्ञान लिया गया है।...(व्यवधान) यह सरकार 16 महीनों से है।...(व्यवधान) आखिर यह विषय पहले क्यों नहीं आया, जिसे आज ये उठाना चाह रहे हैं? ...(व्यवधान) जो सदन के बाहर की गतिविधि है, कानून की कार्रवाई है, जुडीशियल प्रॉसेस है, उस प्रॉसेस में आखिर सरकार की क्या भागीदारी हो सकती है? ...(व्यवधान) हम तीनों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद सबको अलग मानकर चलते हैं।...(व्यवधान) पूरे संविधान की मर्यादा को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपनी कुर्सी पर जाकर अपने विषय को पूरे देश को बतायें कि आखिर विषय क्या है, क्यों आंदोलित हैं, क्यों

सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, सूखा के सवाल पर बहस सदन में क्यों नहीं होने दे रहे हैं?...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करूँगा कि आप इनसे यह अपील करें, कांग्रेस के मित्रों से अपील करें। ...(व्यवधान) इन्होंने बीएसी की बैठक में कहा था कि आप सूखे पर चर्चा की शुरूआत कराएं, हम जितने विधायी कार्य हैं, उन्हें पारित कराएंगे।...(व्यवधान) सूखे पर सवाल लिया गया है।...(व्यवधान) कल इनको विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी को, जबकि सीपीएम का नोटिस था, फिर भी हमने अनुमति दिलवायी, सदन ने आग्रह स्वीकार किया कि कांग्रेस के सदस्य इस विषय को उठा सकते हैं।...(व्यवधान) कांग्रेस के सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूखे पर बहस शुरू की। ...(व्यवधान) आज जब बहस का सिलसिला जारी रखना था, तो माननीय सदस्य आकर इस प्रकार से सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(व्यवधान) देश के किसानों के खिलाफ है। ...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी अपने इस व्यवहार से देश के किसानों के खिलाफ एक वातावरण पैदा कर रही है। ...(व्यवधान) देश के किसान, गरीब और मजदूर ...(व्यवधान) देश की इस गरीबी और खासकर इस वातावरण में जहां पूरे देश में एक सुखाड़ का वातावरण है ...(व्यवधान) संसद को न चलने देने की स्थिति में देश के किसानों के साथ बड़ा आघात कर रहे हैं और स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(व्यवधान)

08.12.2015

अपराहन 2.07 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा
देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में- जारी।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मद संख्या .19 को लिया जाएगा। 7 दिसंबर, 2015 को श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पर आगे की चर्चा।

श्री अशोक कुमार - उपस्थित नहीं।
श्री संजय जाधव जी।

… (*व्यवधान*)

[6*]**श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी):** धन्यवाद महोदय, माननीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद से, मैं शिवसेना की ओर से सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। … (*व्यवधान*) पिछले तीन वर्षों से हमारा देश विशेषकर महाराष्ट्र सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। इस संबंध में कुछ उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन वे नहीं किए जा रहे हैं। राज्य में किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। … (*व्यवधान*)

[6] मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह बिना किसी कारण के सदन को अवरुद्ध करना बेहद अलोकतांत्रिक है। सरकार न्यायपालिका के न्याय प्रशासन में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? क्या हम न्यायाधीशों पर शर्तें थोप सकते हैं? हर व्यक्ति सब कुछ जानता है। इस तरह सदन को अवरुद्ध करना अत्यधिक अलोकतांत्रिक है। यह अनुचित है। … (*व्यवधान*)

कल हमने देश में सूखे पर चर्चा शुरू की थी। अब इन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध के मुद्दे संसद के अंदर लाए जा रहे हैं और वे सदन को अवरुद्ध कर रहे हैं। यह काफी अलोकतांत्रिक है, महोदय। यह असहनीय है। … (*व्यवधान*)

देश की जनता देख रही है कि जो मुद्दे देश के व्यापक हित में हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है, उन पर चर्चा करने के बजाय ये सांसद संसद में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को अपने स्थान पर जाकर बताना चाहिए कि वे आसन के समीप क्यों आ रहे हैं। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने स्थान पर जाकर बोलें। क्या खड़गे साहब इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे?

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बोलने की अनुमति ही नहीं दी।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

08.12.2015

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : (व्यवधान) ये संसद को अखाड़ा बनाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) यह लोकराज की नीति का उल्टा है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि एक गंभीर मामले पर जब बहस हो रही हो, तब कांग्रेस वाले उसमें टांग अड़ाते हैं। ...(व्यवधान) इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान) आज देश का किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है। ...(व्यवधान) किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, तेलंगाना एरिया के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

ऐसे बहुत से किसान हैं जो सदन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमारे राज्य में, 231 मण्डलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।... (*व्यवधान*) इसलिए, हम चाहते हैं कि इस पर संसद में विशेष तौर पर चर्चा होनी चाहिए। ... (*व्यवधान*) नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए और हमें उस पर निर्णय लेना होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ... (*व्यवधान*) आपको इस चर्चा को आगे बढ़ने देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थानों पर वापस जाएं, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वहां खड़े होकर कह सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में मुझे सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से बात करने का अधिकार है कि उन्हें बोलने का अधिकार है।... (*व्यवधान*) अकाली दल से लेकर टी.डी.पी. तक सभी राजनीतिक दलों के सदस्य बोलना चाहते हैं। (*व्यवधान*) मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित और स्तब्ध हूं कि विभिन्न राजनीतिक

दलों के सदस्यों, जिनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा था, के साथ मेरी बातचीत में श्रीमती सोनिया गांधी ने बाधा डाली। (*व्यवधान*) मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह इसके बारे में परेशान क्यों हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराहन 2.12 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

08.12.2015

अपराहन 3.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराहन तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 3.0 ½ बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही है, ...(व्यवधान) पंजाब के किसान मर रहे हैं, वहां के किसान खुदखुशी कर रहे हैं ...(व्यवधान) कांग्रेस के लोगों ने इस विषय पर बोला, आज जब हमारी बारी आई तब नारे लगा रहे हैं, हाऊस को नहीं चलने दे रहे हैं, ...(व्यवधान) मैं पंजाब पुलिस के फेक इनकाऊंटर का मामला उठाना चाहता था। बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं ...(व्यवधान) पंजाब में फेक इनकाऊंटर का एक मामला दिल दहला देने वाला है, इस घटना का खुलासा हुआ है, ...(व्यवधान) कांग्रेस वाले हाऊस को नहीं चलने दे रहे हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है ...(व्यवधान)।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री संजय जाधव जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

… (*व्यवधान*)

08.12.2015

अपराहन 3.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा
देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में- जारी।

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 19 पर चर्चा करेंगे - 7 दिसंबर, 2015 को श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा उठाए गए देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पर आगे की चर्चा।

श्री संजय जाधव

[7*]**श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सूखे की स्थिति के कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। इसके लिए कई कारण ज़िम्मेदार हैं, जैसे बैंक ऋण, जल स्तर का मुद्दा आदि। राजस्व संग्रह के लिए, सरकार ने नदी तल से रेत निकालने की अनुमति दी है। ... (*व्यवधान*)

[7] मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

08.12.2015

[हिंदी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब बहुत दुखी हैं ...(व्यवधान) आज सदन के भीतर हम सुबह से आग्रह कर रहे हैं ...(व्यवधान) कांग्रेस के सदस्य किस विषय को उठाना चाहते हैं, ...(व्यवधान) आखिर उन्हें किस बात से आघात पहुंचा है ...(व्यवधान) उनकी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां उपस्थित हैं ...(व्यवधान) वे स्वयं आकर अपने सांसदों को कह रही हैं ...(व्यवधान) कि सदन नहीं चलने देना है, वह सदन में खुद उपस्थित हैं। ...(व्यवधान) सदन के सदस्य जानना चाहते हैं कि वह कौन सा विषय है जिसके कारण सदन में हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य उत्तेजित हैं, ...(व्यवधान) सूखे के सवाल पर हर सदस्य बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान) भगवंत मान जी बोलना चाहते हैं, शिवसेना के हमारे सदस्य बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान), अकाली दल के लोगों ने बोला है ...(व्यवधान) बीजेपी के सदस्य सूखे के सवाल पर बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान)। देश के करोड़ों किसान सदन की तरफ देख रहे हैं ...(व्यवधान) कि सरकार सूखे के सवाल पर क्या पहल करना चाहती है ...(व्यवधान)। सोनिया जी सदन में हैं, अगर उनके सदस्य कोई बात रखना चाहते हैं ...(व्यवधान) या बाहर किसी तरह की घटना हुई है, किसी न्यायिक घटना के कारण किसी प्रकार का उनको उत्पीड़न हो रहा हो ...(व्यवधान), सदन के सामने एक सदस्य की हैसियत से वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं ...(व्यवधान) उनके सदस्य अपनी बात रख सकते हैं ...(व्यवधान), पूरे सदस्यों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आज बिना किसी कारण के, बिना किसी विषय के, आज सदन की गतिविधि बाधित कर रहे हैं ...(व्यवधान) आप नारे लगा रहे हैं, आप देश में यह संवाद पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे ...(व्यवधान)।

08.12.2015

महोदय, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है ...(व्यवधान), यदि आपके खिलाफ आरोप है ...(व्यवधान) या उसके कारण यदि आप आंदोलित हैं तो अपने विषय को रखें, न्यायालय में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ...(व्यवधान) मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि किसी न्यायालय की घटना

को लेकर कांग्रेस के माननीय सदस्य इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, ...(व्यवधान) सरकार का इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है ...(व्यवधान), न सदन का इससे कुछ लेना-देना है। सदन के बहुमूल्य समय को ...(व्यवधान) सूखे के सवाल पर पूरा देश बहस सुनना चाह रहा है ...(व्यवधान) मैं सीधे तौर पर ...(व्यवधान) कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हाउस के भीतर उपस्थित होकर माननीय सदस्यों से आग्रह नहीं कर रही हैं ...(व्यवधान) कि वे सदन को बाधित न करें।...(व्यवधान) उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। ...(व्यवधान) उन्होंने कोई विषय नहीं उठाया है। ...(व्यवधान) उन्होंने किसी विषय को नहीं रखा है और टीएमसीके सदस्य ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदय, यह क्या हो रहा है? ... (*व्यवधान*) महोदय, विपक्ष के मन में प्रतिशोध के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दलों को लग रहा है कि प्रतिशोध के कारण उनके सामान्य कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। अत:, विपक्ष के प्रति, किसी भी प्रकार के सरकार के प्रतिशोध को रोकना होगा। ... (*व्यवधान*) कुछ मिनट पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता, श्रीमती सोनिया गाँधी सही कह रही थीं कि जिस दिन खड़गे जी *दलितों* का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उनका माइक बंद कर दिया गया, जो आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष के मामले में नहीं होता है। यही कारण है कि हम एक साथ विरोध कर रहे हैं। कुछ सदस्य सभापीठ के समक्ष वेल में आ सकते हैं और कुछ

सदस्य सभापीठ के समक्ष वेल में आकर एकत्र नहीं हो सकते परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सब साथ नहीं हैं बल्कि हम इस मुद्दे पर साथ हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि विपक्षी दलों को सरकार द्वारा निशाना नहीं बनाया जाए।... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदया, सुदीप बन्दोपाध्याय साहब ने यह विषय रखा है कि हम विन्डिक्टिव हैं और सरकार विन्डिक्टिव है। ...(व्यवधान) अगर सदस्य के पास ऐसे प्रमाण हैं कि सरकार विन्डिक्टिव है तो हम आग्रह करेंगे कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर ...(व्यवधान) और अगर सोनिया जी को यह लगता है कि हम विन्डिक्टिव हैं ...(व्यवधान) सरकार उनके खिलाफ है, तो वे स्वतंत्र हैं कि सदन के फ्लोर पर आकर हमें बतायें कि किस प्रकार से हम विन्डिक्टिव हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातों पर संज्ञान लिया है, तो आखिर यह पूरा सदन उसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है? ...(व्यवधान) आखिर यह पूरा देश उसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है? ...(व्यवधान) यदि ज्यूडिशियरी कोई निर्णय लेता है या कोई संज्ञान लेता है, तो हम किस प्रकार से विन्डिक्टिव हैं? ...(व्यवधान) हमारी सरकार अठारह महीने से है। ...(व्यवधान) हम इस काम को कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अभी तक इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य आकर यह बात नहीं रख रहा है ...(व्यवधान) हम स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि आप ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री [श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है और हमारी प्रतिशोध की भावना से उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्हें बताना चाहिए कि वास्तव में मुद्दा क्या है।... (*व्यवधान*) वे यहां

केवल आंदोलन नहीं कर सकते। आप उन्हें उनके स्थानों पर वापस जाने का निर्देश दे रहे हैं। उन्हें बताने दीजिए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। केवल आसन के समीप खड़े होने से उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यह काफी अलोकतांत्रिक है और यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सभी सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने स्थानों पर वापस लौट जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल 9 दिसंबर, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराहन 3.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 9 दिसंबर, 2015 / 18 अग्रहायण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

08.12.2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित